आ पेश हो।

14.3.22 फाइल पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान की O7 R5 एवं 11 CPC के प्रार्थना पत्र एवं O1 R10 CPC के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित है। फाइल वास्ते आदेश 22/3/2022 को पेश हो।

22.3.2022 फाइल पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पूर्व पेशी पर O7 R5 एवं 11 CPC के प्रार्थना पत्र एवं O1 R10 CPC के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। न्यायालय को पहले O7 R5 एवं 11 CPC का प्रार्थना पत्र निर्णित करना है। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा O7 R5 एवं 11 CPC के बहस मे उन्ही तथ्यों को दोहराया जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित है। प्रतिवादी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया जो कि वाद पत्र की विषयवस्तु मे हित ही नही रखता और न ही रखने का दावा करता है वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए भी उत्तरदायी नही है क्योंकि वह वाद मे निहित सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार हितबद्ध नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मे वकील प्रार्थी द्वारा हितबद्ध किसी अन्य पक्षकार को प्रार्थना पत्र मे आवश्यक पक्षकार के रूप मे शामिल करने की बात स्वीकार की है। साथ ही O1 R10 का प्रार्थना पत्र भी राकेश मेडतवाल को अप्रार्थी बनाये जाने हेतु पेश किया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा 251 A का प्रार्थना पत्र पेश करते समय प्रकरण मे सभी आवश्यक पक्षकारो को शामिल नही किया है। चूंकि धारा 251 क मे लंबित प्रकरणों का निस्तारण आवश्यक रूप से 90 दिवस मे किये जाने के निर्देश है। यह प्रकरण लगभग 2½ वर्ष पुराना है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे आवश्यक पक्षकारो को शामिल न करके न्यायालय का अनावश्यक समय खराब करने से यह न्यायालय इस प्रकरण को चलाने योग्य नही समझती है।

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज
	अतः प्रार्थना पत्र 07 R 5 एवं 11 CPC स्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A को खारिज किया जाता है। प्रार्थी इस संबंध में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अनुसार नया वाद / प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।